



HAMIRPUR POLICE



जनपद हमीरपुर

दिनांक 21.02.2023

प्रभावी पैरवी कर आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त को 02 वर्ष के कारावास व 01 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई-

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 31.10.1997 को थाना-कोतवाली सदर, जनपद- हमीरपुर में पंजीकृत अ0सं0 305/97 अन्तर्गत धारा-25(H)/30 A. Act. में नामजद अभियुक्त अशोक सिंह चंदेल पुत्र कृष्ण दत्त चंदेल निवासी टिकटोली कोतवाली सदर जनपद हमीरपुर को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग में आरोपी को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा 02 वर्ष के कठोर कारावास व 01 हजार रुपये के अर्थ दण्ड की सजा दिलाई।